2022/85

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| सरकार जरिये<br>तहसीलदार पिण्डवाडा | | श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री खेता<br>जाति बंजारा निवासी रामपुरा<br>तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही |

किस्म मुकदमा– राजस्व निगरानी

मुकदमा नं. 17 वर्ष 2022

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.02.2022 | प्रार्थी ने यह राजस्व निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी हो । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06.04.2022 को पेश हो ।<br><br>Bello<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |
| 06.04.2022 | पत्रावली आज पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसील कार्यालय पिण्डवाडा से प्राप्त रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री खेता की फौत हो चुकी है। अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण परिपोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी तहसीलदार पिण्डवाडा को निर्देशित किया जाता है कि मौके एवं रेकर्ड की वर्तमान स्थिति के आधार पर जांच कर यदि आवश्यक हो तो अप्रार्थी के विधिक वारिसानों के विरूद्ध नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>Bello<br>(डॉ. भँवर लाल)<br>जिला कलक्टर,सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.07.08 17:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner